

## प्रेस नोट दिनांक- 26.12.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

### जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 18 गैंगस्टर के विरुद्ध के 4 अभियोग किए गए पंजीकृत-

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 7 अभियुक्तों एवं थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों, थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छेड़खानी, पॉक्सो, आर्म्स एक्ट, गुण्डा व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 18 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

उक्त अभियोगों से संबंधित 13 अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं, 02 को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है एवं अन्य शेष 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

01- थाना कुण्डा-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कुण्डा सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 25.12.2024 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 01. कमलेश दूबे पुत्र अखिलानन्द निवासी बन्थरी मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 02. अरविन्द मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम छोटी बहरिया समसपुर थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ 03. शुभम उर्फ बमबम पुत्र कमलेश दूबे निवासी ग्राम बन्थरी रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 04. चण्डिका शुक्ला उर्फ चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० ज्ञानचन्द्र शुक्ला निवासी पूरे शुक्लान मजरा तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 05. अंशू पाण्डेय उर्फ कृपाशंकर पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी शीतलपुर मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 06. लालजी यादव पुत्र राम दूलारे यादव निवासी मानस का पुरवा मजरा भदरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ 07. नीलम पाण्डेय पत्नी सुनील पाण्डेय निवासी दशवत का पुरवा थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज के विरुद्ध मु०अ०सं० 385/2024

धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें सभी 07 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध हैं।

आपराधिक इतिहास-

01- (गैंग लीडर) कमलेश दूबे पुत्र अखिलानन्द निवासी बन्थरी मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

- 1- मु0अ0सं0 162/2007 धारा 380/411/457 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 210/2007 धारा 147/148/149/323/504/506/452 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 3- मु0अ0सं0 229/2007 धारा 147/148/149/307/411/504 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 4- मु0अ0सं0 230/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 5- मु0अ0सं0 353/2010 धारा 110 (जी) सीआरपीसी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 6- मु0अ0सं0 248/2012 धारा 457/380 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 7- मु0अ0सं0 360/2020 धारा 323/504/506/354 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5A SC/ST ACT व 8 पाक्सो एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 8- मु0अ0सं0 386/2022 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नि0अधि0 थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 9- मु0अ0सं0 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 10- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 11- मु0अ0सं0 198/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- 12- मु0अ0सं0 290/2024 धारा 109, 351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा निवारक कार्यवाही 49/21 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट जनपद प्रतापगढ़।

02- अरविन्द मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम छोटी बहरिया समसपुर थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

- 1- मु0अ0सं0 51/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 26/2009 धारा 394/411 भादवि थाना जीआरपी उन्नाव।
- 3- मु0अ0सं0 46/2009 धारा 120बी,392,411 भादवि जी0आ0पी0 प्रयागराज।
- 4- मु0अ0सं0 197/2009 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट जी0आ0पी0 प्रयागराज।
- 5- मु0अ0सं0 293/2009 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- 6- मु0अ0सं0 295/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

- 7- मु0अ0सं0 44/2024 धारा 195/211/307/120 बी भादवि थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ ।
- 8- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 9- मु0अ0सं0 198/2024 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्टथाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ ।
- 10- मु0अ0सं0 273/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

03- शुभम उर्फ बमबम पुत्र कमलेश दूबे निवासी ग्राम बन्थरी रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास(पूर्व से जेल में निरुद्ध) -

- 1- मु0अ0सं0 360/2020 धारा 323/504/506/354 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5A SC/ST ACT व 8 पाक्सो एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 477/2020 धारा 506 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 4- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 5- मु0अ0सं0 198/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

04- चण्डिका शुक्ला उर्फ चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व0 ज्ञानचन्द्र शुक्ला निवासी पूरे शुक्लान मजरा तिलौरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

- 1- मु0अ0सं0 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 198/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

05- अंशू पाण्डेय उर्फ कृपाशंकर पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी शीतलपुर मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध) -

- 1- मु0अ0सं0 169/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 198/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

06- लालजी यादव पुत्र राम दूलारे यादव निवासी मानस का पुरवा मजरा भदरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

- 1- मु0अ0सं0 05/05 धारा 120 बी/302 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट

2- मु0अ0सं0 64/03 धारा 147/148/149/307 भादवि

3- मु0अ0सं0 839/2020 धारा 147/148/323/504/506/452 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

4- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

5- मु0अ0सं0 273/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

07- नीलम पाण्डेय पत्नी सुनील पाण्डेय निवासी दशवत का पुस्वा थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

1- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 310(2),311,317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 44/2024 धारा 195/211/307/120बी भादवि थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ ।

2- थाना कोहंडौर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी कोहंडौर राधेश्याम के नेतृत्व में दिनांक 25.12.2024 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 01. मनीष सरोज पुत्र रामप्रसाद निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ 02. कलावती पत्नी श्रीलाल उर्फ छेदीलाल सरोज निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ 03. सुजीत कुमार पुत्र जयकरन उर्फ कल्लू निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ 04. सुनील कुमार पुत्र जयकरन उर्फ कल्लू निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 212/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । जिसमें 02 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है एवं 01 अभियुक्ता को पुलिस हिरासत में लिया गया है शेष 01 की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास-

01-(गैंग लीडर) मनीष सरोज पुत्र रामप्रसाद निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 214/23 धारा 302, 307, 147, 148, 49, 325, 504, 506 भादवि थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0 190/24 धारा 352, 351(3) बीएनएस थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02- कलावती पत्नी श्रीलाल उर्फ छेदीलाल सरोज निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 214/23 धारा 302, 307, 147, 148, 49, 325, 504, 506 भादवि थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0 190/24 धारा 352, 351(3) बीएनएस थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

03- सुजीत कुमार पुत्र जयकरन उर्फ कल्लू निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

1-मु0अ0सं0 214/23 धारा 302, 307, 147, 148, 49, 325, 504, 506 भादवि थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

04- सुनील कुमार पुत्र जयकरन उर्फ कल्लू निवासी अंसारी गली कस्बा कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास (पूर्व से जेल में निरुद्ध)-

1- मु0अ0सं0 214/23 धारा 302, 307, 147, 148, 49, 325, 504, 506 भादवि थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

3- थाना बाघराय-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमति करिश्मा गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी बाघराय प्रदीप कुमार के नेतृत्व में दिनांक 25.12.2024 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 01. अनुज पाण्डेय पुत्र उमेश पाण्डेय उर्फ बबू पाण्डेय निवासी जमलामऊ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ 02 भाष्कर पाठक पुत्र बृजेश पाठक नि0 सुखरू का पुरवा बेधन गोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 03. सतीश सरोज पुत्र रामफेर उर्फ फेरई सरोज नि0 कुढ़ा थाना हथिंगवा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 399/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । जिसमें 01 अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है एवं शेष 02 की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास-

01-(गैंग लीडर) अनुज पाण्डेय पुत्र उमेश पाण्डेय उर्फ बबू पाण्डेय निवासी जमलामऊ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0 13/2018 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 76/2022 धारा 392, 394, 411 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

- 3- मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307, 34 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 4- मु0अ0सं0 82/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 5- मु0अ0सं0 228/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना हथिगवां, प्रतापगढ़ ।
- 6- मु0अ0सं0 0787/2019 धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज ।
- 7- मु0अ0सं0 909/2020 धारा 392 भादवि थाना नवाबगंज, प्रयागराज ।
- 8- मु0अ0सं0 1084/2020 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज ।
- 9- मु0अ0सं0 1085/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज ।
- 10- मु0अ0सं0 18/2022 379, 411, 419 भादवि थाना सोराव, जनपद प्रयागराज ।
- 11- मु0अ0सं0 191/2022 धारा 4/5 वि0प0अधि0 थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज ।
- 12- मु0अ0सं0 193/2023 धारा 411, 413, 414 भादवि व 4/5 वि0प0अधि0 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज ।
- 13- मु0अ0सं0 187/2024 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज ।

02. भाष्कर पाठक पुत्र बृजेश पाठक नि0 सुखरू का पुरवा बेधन गोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 52/2019 धारा 323,352,504,506 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 76/2022 धारा 394, 411 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307, 34 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

03. सतीश सरोज पुत्र रामफेर उर्फ फेरई सरोज नि0 कुढ़ा थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 76/2022 धारा 394, 411 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 2- मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307, 34 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।
- 3- मु0अ0सं0 216/2022 धारा 323, 341, 342, 386, 411, 504 भादवि थाना हथिगंवा, प्रतापगढ़ ।
- 4- मु0अ0सं0 229/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हथिगंवा, प्रतापगढ़ ।

4- थाना कोतवाली देहात-

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली देहात अभिषेक सिरौही के नेतृत्व में दिनांक 25.12.2024 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर व सदस्य 01. शशि मिश्रा पुत्र रमेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम नौबस्ता चौखड़ा थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ 02. शशांक दूबे पुत्र प्रभात चन्द्र दुबे, 03. राज मिश्रा उर्फ प्रियांशू पुत्र सुभाष मिश्रा, 04. अभिनव मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासीगण ग्राम भुइदहा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 393/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें सभी 04 अभियुक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

आपराधिक इतिहास-

01-(गैंग लीडर) शशि मिश्रा पुत्र रमेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम नौबस्ता चौखड़ा थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0 79/2023 धारा 307 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 93/2023 धारा 307 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
- 3- मु0अ0सं0 96/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
- 4- मु0अ0सं0 344/2023 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
- 5- मु0अ0सं0 219/2024 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

02- शशांक दूबे पुत्र प्रभात चन्द्र दुबे निवासी ग्राम भुइदहा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01- मु0अ0सं0 219/2024 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

03- राज मिश्रा उर्फ प्रियांशू पुत्र सुभाष मिश्रा ग्राम भुइदहा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01- मु0अ0सं0 219/2024 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

04- अभिनव मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा ग्राम भुइदहा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01- मु0अ0सं0 219/2024 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 25.12.2024 को थाना कुण्डा में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल 07 गैंगस्टर उपरोक्त को पूर्व से पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तार होकर जेल में निरुद्ध है।

दिनांक 25.12.2024 को थाना कोहंडौर से 02 गैंगस्टर सुजीत कुमार व सुनील कुमार उपरोक्त पूर्व से जेल में निरुद्ध है। तथा शेष 02 की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

दिनांक 25.12.2024 को थाना बाघराय में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कुल 03 गैंगस्टर अनुज, भाष्कर पाठक व सतीश सरोज के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें 01 अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है एवं शेष 02 की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

दिनांक 25.12.2024 को थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कुल 04 गैंगस्टर शशि मिश्रा, शशांक दूबे, राज मिश्रा, अभिनव मिश्रा को पूर्व से पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तार होकर जेल में निरुद्ध हैं।

### थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके घर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.08.2019 को आराोपीगणों द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 258/2019 धारा 147, 148, 307, 323, 325, 504, 506 भादवि बनाम 5 नामजद व 2 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य सिंह थाना रानीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह, हे0का0 अशरफ अली द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत

मु0अ0सं0 258/2019 धारा 147, 148, 307, 323, 325, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त इन्द्रपाल सरोज पुत्र निहुट निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इन्द्रपाल सरोज पुत्र निहुट निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह, हे0का0 अशरफ अली थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़**

बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय के आरक्षी रणजीत कुमार ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

आरक्षी आरक्षी रणजीत कुमार ने साथे की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के आरक्षी रणजीत कुमार को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

थाना बाघराय के अतर्गत अभियुक्त को उसके घर से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तगण चोरी, लूट हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी आम्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त हैं

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना बाघराय के बहादुर आरक्षी रणजीत कुमार के सहयोग से आज दिनांक 26.12.2024 को थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 399/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप

(निवारण) अधिनियम, 1986 थाना बाघराय में 01 वांछित अभियुक्त गण 1. अनुज पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -31 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अनुज पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -31 वर्ष

अनुज पाण्डेय पुत्र उमेश चन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम जमलामऊ थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 13/2018 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 76/2022 धारा 392, 394, 411 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 81/2022 धारा 307, 34 भादवि थाना बाघराय, प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 82/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 228/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना हथिगवां, प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 787/2019 धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।
07. मु0अ0सं0 909/2020 धारा 392 भादवि थाना नवाबगंज, प्रयागराज।
08. मु0अ0सं0 1084/2020 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।
09. मु0अ0सं0 1085/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज।
10. मु0अ0सं0 18/2022 379, 411, 419 भादवि थाना सोराव, जनपद प्रयागराज।
11. मु0अ0सं0 191/2022 धारा 4/5 वि0प0अधि0 थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज।
12. मु0अ0सं0 193/2023 धारा 411, 413, 414 भादवि व 4/5 वि0प0अधि0 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज।
13. मु0अ0सं0 187/2024 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, प्रयागराज।

**थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

गैर इरादतन के अभियोग में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को थानाक्षेत्र के देशराज का इंदारा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

थाना मानिकपुर के ग्राम महंगू का पुरवा कुशाहिलडीह में दिनांक 03.04.2024 को मारपीट में घायल वादी की पुत्री की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार मु0अ0सं0 175/24 धारा 323, 504, 506, 304 भादवि बनाम 03 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी कुण्डाश्री अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण थाना मानिकपुर के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिशिर पटेल मय हमराह कां0 अनुज कुमार, कां0 अजीत शर्मा व म0 आरक्षी किरन बिन्द मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 175/24 धारा 323, 504, 506, 304 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता कविता पत्नी मनोज पटेल नि0 ग्राम महंगू का पुरवा कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 26.12.2024 को थानाक्षेत्र मानिकपुर के देशराज का इंदारा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- कविता पत्नी मनोज पटेल नि0 ग्राम महंगू का पुरवा कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री शिशिर पटेल मय हमराह कां0 अनुज कुमार, कां0 अजीत शर्मा व म0 आरक्षी किरन बिन्द थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़**

महिला बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 गैंगस्टर अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना कोहडौर की महिला आरक्षी गुडिया बघेल ने गैंगस्टर अभियुक्ता पर कसा शिंकजा

महिला आरक्षी गुडिया बघेल ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोहड़ौर की महिला आरक्षी गुडिया बघेल को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

थाना कोहड़ौर के अतर्गत अभियुक्ता को उसके घर के पास से किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्ता हत्या, हत्या का प्रयास, धमकी देना जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त हैं

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोहड़ौर के बहादुर महिला आरक्षी गुडिया बघेल के सहयोग से आज दिनांक 26.12.2024 को थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोहड़ौर में 01 वांछित अभियुक्ता कलावती पत्नी श्रीलाल उर्फ छेदीलाल निवासी अंसारीगली कस्बा कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र -57 वर्ष वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- कलावती पत्नी श्रीलाल उर्फ छेदीलाल निवासी अंसारीगली कस्बा कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र -57 वर्ष

कलावती पत्नी श्रीलाल उर्फ छेदीलाल निवासी अंसारीगली कस्बा कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 214/23 धारा 302, 307, 147, 148, 49, 325, 504, 506 भादवि थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 190/24 धारा 352, 351(3) बीएनएस थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

## थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-\*

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के दोमुंहा पुल के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.12.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में धारा 69, 89, 115(2), 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत \*अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैश के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल थाना अन्तू के नेतृत्व में उ०नि० शुभनाथ साहनी मय हमराह, का० नागेन्द्र यादव, का० नीरज कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 69, 89, 115(2), 352 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त रजनीश वर्मा पुत्र सियाराम वर्मा निवासी ग्राम पीथापुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के दोमुंहा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रजनीश वर्मा पुत्र सियाराम वर्मा निवासी ग्राम पीथापुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शुभनाथ साहनी मय हमराह, का० नागेन्द्र यादव, का० नीरज कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी पट्टी व प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम पर अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में कल दिनांक 25.12.2024 को दौरान चैकिंग, वांछित वारंटी गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत 01 नफर अभियुक्त फूलचन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह नि० रखहा थाना कन्धई प्रता० उम्र करीब 30 वर्ष मय 07 बोटा हरे आम की लकड़ी मय एक अदद ट्रैक्टर पावर ट्रैक

439 RDX मय ट्राली के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0 304/2024 धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम 1976 बनाम अभियुक्त उपरोक्त व अन्य 02 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- कल दि0 25.12.24 को मुखबिर की खास सूचना पर भरथीपुर पक्की रोड के पास हरा आम का पेड काटकर उसका बोटा तैयार कर ट्रैक्टर ट्राली पर लादकर ले जा रहे एक नफर अभियुक्त फूलचन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह नि0 रखहा थाना कन्धई प्रता0 उम्र करीब 30 वर्ष को समय 20.30 बजे भरथीपुर पक्की रोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/2024 धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम 1976 बनाम अभियुक्त उपरोक्त व अन्य 02 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया । अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 राजेश प्रसाद द्वारा अभियुक्त फूलचन्द्र सिंह उपरोक्त को भरथीपुर पक्की रोड के पास से कल दिनांक 25.12.2024 को 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फूलचन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह नि0 रखहा थाना कन्धई प्रता0 उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी- 07 बोटा हरे आम की लकड़ी मय एक अदद ट्रैक्टर पावर ट्रैक 439 RDX मय ट्राली

गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी का नाम-

1.उ0नि0 रज्जन राव

2.हे0का0 राजेश प्रसाद

**थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र मान्धाता के मुनेश्वरदत्त इंटर कालेज के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.11.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता में धारा 137(2), 70(2), 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष यादव थाना मान्धाता के नेतृत्व में उ०नि० प्रभात वर्मा मय हमराह, का० अंकित कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 137(2), 70(2), 351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकुश पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम भुवालपुर किला थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मान्धाता के मुनेश्वरदत्त इंटर कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अंकुश पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम भुवालपुर किला थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० प्रभात वर्मा मय हमराह, का० अंकित कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।